

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 खरतवासिया

अनुवान भजन लाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 542/2025

निर्णय दिनांक 31/10/2025.

भजन लाल पुत्र महेंदर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगटिया चारणान तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

--:निर्णय:-

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 खरतवासिया में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 93 के ख.नं. 447/364 तादादी 1.5427 हैक्ट., एवं खाता सं. 81 के ख.नं. 249/81 तादादी 0.1517 हैक्ट., ख.नं. 254/132 तादादी 1.6186 हैक्ट., ख.नं. 31 तादादी 3.3636 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम गोगटिया चारणान तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम भानीराम पुत्र महेन्द्र दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम भजन लाल पुत्र महेंदर है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम भानीराम पुत्र महेन्द्र के स्थान पर भजन लाल पुत्र महेंदर किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः खाता संख्या 93 के ख.नं. 447/364 तादादी 1.5427 हैक्ट., एवं खाता सं. 81 के ख.नं. 249/81 तादादी 0.1517 हैक्ट., ख.नं. 254/132 तादादी 1.6186 हैक्ट., ख.नं. 31 तादादी 3.3636 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम गोगटिया चारणान तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम भानीराम पुत्र महेन्द्र Delete कर इसके स्थान पर भजन लाल पुत्र महेंदर अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/10/2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 खरतवासिया में लिखाया

जाकर सुनाया गया।



*Rajendra*  
राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)